

वायुद्वय  
प्राणिव, प्राणिविक दित्ता परिषद  
उत्तरि प्रदेश लखनऊ।

१८०८-२०१४/परिवर्तन संस्कार/२०२०/३१८०

2020-08-14-14-00-2020

— १४८ —

अपनी अनुसंधान से बहुत दूरी पर रहने का एक विकल्प है।

“सत्र 2020-21 हेतु नवरक्षणित होने वाली किसी समाज के संस्थाएँ जिन्हे पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है, को सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा पिचार-पिमर्श किया गया एव सत्र 2020-21 हेतु निर्गत पी०सी०आई० अनुमोदन पत्र के आधार पर सर्वत्तमति से सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत संस्थाओं का रक्तलीय निरीक्षण कराया जाये एव निरीक्षण के दौरान यदि संस्था म भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एव अन्य साज-राज्जा पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता बिना किसी सुधना के समाप्त कर दी जाएगी।”

अति सिम्पलिक्स वर्गित नमस्कार को परिषेवा की सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गए नियम के मान्यता प्राप्तिपूर्वक विज्ञा नवीनीकरण एवं उत्तराधिकार विभाग वर्ष 2020-21 हेतु सिम्पलिक्स वर्गित नमस्कार का उत्तराधिकार अधिकारी प्रबोह इमाम की सम्बद्धता उपलब्ध की जाती है।

क्रमांक	संसदीय कानून का नाम	प्रत्येक साल का नाम	प्रतिवर्षीय दृष्टि से 2020-21 में अनुसूचित उपलब्ध कमता	प्रतिवर्षीय दृष्टि से 2020-21 में अनुसूचित प्रतिवर्षीय कमता
1	जनरल ऑफिस एक वर्षीय विभाग-विवरण कानून 2005/विभाग-विवरण कानून	विभाग-विवरण कानून	नहीं	60

४०८

(Anupama Singh)

पांच लाख अवधारक द्वितीय परीक्षा के लिए अधिकारी नियुक्ति द्वारा वर्ष 2020-21 के द्वितीय वर्ष सुरक्षित भूल नहीं होता है। तो योग्य की अवधारक द्वारा देख लीजिए।



(*www.epru.org*)

प्राची- बालि/परिवद सम्बन्ध/ 2020/ 5171-6576

સાયુ દિનાંક: 14-3-2020

प्रतिलिपि-प्रधानमंत्री/निदेशक, राजसिंह बोलेज ऑफ प्रार्थनी, पिलौज-देवखंद, असाम, 78100-देवखंद  
गिरो-सहासनपर 2475

(संजीव एकान्तर सिद्ध)

Lalwinder Singh

Principal  
A.P.J. Abdul Kalam College of Pharmacy

## कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद्,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राणिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

संलग्नक: दिनांक: 09/08/2021

:कार्यालय जाप:-

अधिकृत भारतीय सकारीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल और इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु ठिकाना स्तरीय एवं नीति विभाग संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आगोदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान प्रवेश क्षमता पूर्व सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है।

**संस्था का कोड एवं नाम : 1317-JAMIA COLLEGE OF PHARMACY, VILLAGE DEOBAND BAHROON, TEHSIL DEOBAND, DISTRICT SAHARANPUR 247545 (U.P.)Village Deoband Bahroon, Tehsil Deoband, Dis**

क्रमसंख्या	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित 22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60 60

## सम्बद्धता हेतु याते-

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० परिषद की मध्ये सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद इकट् 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992 संबद्ध विनियमवाली-2016 तथा अन्य नियमित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करनी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवार्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवार्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22500.00/- प्रतिवार्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर रासायन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निपारण समिति द्वारा पारित की गयी नीति दरे लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। छात्रों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत रासायनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं नियंत्रक, प्राविधिक विधा, उपग्रह, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उपग्रह तथा प्राविधिक विधा परिषद, उपग्रह द्वारा बनाये गये नियमों, विनियामों, आदेशों, नियंत्रण का पालन करने के लिये जारी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यांदे पी.टी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक विधा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक विधा नियंत्रण एवं प्राविधिक विधा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई चाद दायर किया जाता है तथा दायर चाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार वीर्यतिपूर्ण संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कार्मसी पाठ्यक्रम संधारित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्राप्त वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अधिक संस्था द्वारा पर दीये गए) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम भारतीय नियमों का अनुपालन करना अवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने बैचवाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐकाइविंग पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साइ-सल्फा उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, लाइसेंस शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विध्वंश-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिस्ट्रेशन रोकने के समवय में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ते कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को जास्तीय जाने हेतु निरीक्षण समिति के समय उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यांदे संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परीक्षा को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थानीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि-भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साइ-सल्फा पी०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०-अर्व०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उत्तराधिकार किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनकाल का प्रयोग की जायेगी।

(तुनीत कुमार सोनकर)

संधिव

प०सी०- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/06/2021

प्रतीक्षित:-

प्रधानाधार्य/नियंत्रक, JAMIA COLLEGE OF PHARMACY, VILLAGE DEOBAND BAHROON, TEHSIL DEOBAND, DISTRICT SAHARANPUR 247545 (U.P.) Village Deoband Bahroon, Tehsil Deoband, Dis

(तुनीत कुमार सोनकर)

संधिव

Dr. TUNITE KUMAR SONKAR Singh 22

HMC PA  
Jamia College of Pharmacy

## कार्यालय

### निम्न प्राविधिक शिक्षा परिषद्

उत्तर प्रदेश तखनऊ।

संख्या:- प्रारंभिक/परिषद सम्बद्धता/2022/9678

तखनऊ: दिनांक: 03/10/2022

### कार्यालय ज्ञापनः

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली काउन्सिल ऑफ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली द्वारा प्राविधिक सत्र 2022-23 हेतु निम्नोंमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण तंत्रज्ञानों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरात प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 03/10/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्वी संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मार्गों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निर्मांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अविस्तृत प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है।

संस्था का कोड एवं नाम: 1317-JAMIA COLLEGE OF PHARMACY

क्रमसंख्या	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आईपीसी०टी०ई०/पी०सी०आ०१० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णता: पासन करेगी।	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

### सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आईपीसी०टी०ई०/पी०सी०आ०१० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णता: पासन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद ए०ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी। तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इजॉलो पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रशिक्षण, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹० 45000.00/- प्रशिक्षण एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹० 222500.00/- प्रशिक्षण शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उत्तरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्रा-ओं से शुल्क के समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्रवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निश्चारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरे साग्रही होंगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवृद्धित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उच्चर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विविध नियमों/विधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं नियमों, प्राविधिक विविध नियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाधकतारी है।



Principal  
Jamia College of Pharmacy

- ✓ पटि संस्थान का ए०आई०सी०टी०इ०/पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था द्वारा उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रबोश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विनाश पटि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रबोश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तखनज द्वारा प्रलेपक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के मूर्त ए०आई०सी०टी०इ०/पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना ही अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/हीये प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्णि नहीं निर्भावम् आरक्षण नियमों का अनुपातन करना चाहिएगा।
- ✓ संस्था को अपने बैबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐरियालिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साइ-सल्ला, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला गुल्क, छात्रावास गुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त याताकरण उपलब्ध कराने के साथ रोगिन रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक ज्ञानसूचना सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यालय को घसाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गए अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यालय के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद वो इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त वा प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उकाल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औचक स्पष्टीय निरीक्षण के दौरान यदि दोस्ता में भूमि, भवन, प्रयोगालय, उपकरण एवं अन्य साल-सञ्ज्ञा ए०आई०सी०टी०इ०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपातन न किये जाने आए शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुकूलनात्मक कार्यवाही की जायेगी।


  
(ए०आर०खान)

संधिव

पृष्ठ०- प्राप्तिप/परिषद सम्बद्धता/2022/9679-9717

दिनांक: 03/10/2022

पठितिपि:-  
प्रधानाधार्य/निदेशक, JAMIA COLLEGE OF PHARMACY

  
(ए०आर०खान)

संधिव

  
Mohd. Abdullah Singh  
Principal  
Jamia College of Pharmacy